(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

अनवान :– विनोद कुमार बनाम नत्थूराम आदि

धारा :– 88, आर.टी.ए. मुकदमा नं0:– 95/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुआ।
13.4.2018	अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद–पत्र पेश किया गया। वाद कार्यालय टिप्पणी के प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 17/5/2018 वास्ते तलबी प्रतिवादीगण पेश हो। [illegible]	
17.5.18	पत्रावली कैम्प लखमीपुरा में पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के स्वयं हाजिर आकर राजीनामा पेश किया जो वाद तसदीक शामिल पत्रावली किया गया। वादी एवं प्रतिवादी पक्ष की ओर से वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री करने का कथन किया गया। हमारे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी ने जरिये हस्तगत वाद-पत्र चक 42 SSW खाता सं. 65/62 सं.व. 2070-73 में वर्णित कुल आराजी 3.693 में से कुल 1.721 हैक्टर आराजी को बट बंटवारा में प्राप्त करते हुए खातेदार काश्तकार घोषित करने का वाद में अनुतोष चाहा है। प्रश्नगत आराजी प्रतिवादी सं. 1 नत्थूराम के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है तथा शेष प्रतिवादीगण 2 ता 5 वादी बहिनें हैं जिन्होंने वादी के पक्ष में हक परित्याग किया है। वाद-पत्र को स्वीकार करते हुए उभय पक्ष की ओर से लोक अदालत की भावना से कैम्प लखमीपुरा में राजीनामा पेश हुआ है। वाद-पत्र का कोई विरोध नहीं होने से वादी का वाद-पत्र	विनोदकुमार [illegible] नत्थूराम [illegible] पुष्पा मनीषा मोनिका [illegible] (रमेश [illegible])

[illegible]

Scanned by CamScanner

मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना
उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद-पत्र मुताबिक राजीनामा
डिक्री किया जाकर वादी विनोद कुमार को
प्रतिवादी सं. 1 मधुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड
चक 42 SSW खाता सं. 65/62 के दर्ज कुल
3.693 है. कृषि भूमि में से 1.771 है. कृषि भूमि
का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
राजस्व रिकार्ड में इन्द्राजानुसार प्रतिवादी सं. 1
के साथ वादी का नाम अंकित किया जाने।
पक्षकार डिक्री जारी हो। बैंक लोन यथावत
रहेगा। पत्रावली फैसला शुमार होकर
दाखिल दफ्तर की जावे उक्त निर्णय का
राजीनामा जुज रहेगा।

आदेश सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

थान सर
अधिकारी:
कुमार पुत्र श्री
ढ जिला ह
पुत्र हीराराम
जिला हनुमा
पालसर हनुम
नी हंसराज
बीरमाना तह
छोटी साधुवा
ो जिला श्रीगं
—प्रतिवादीग
संख्या:– 95
ो की ओर से
ो में इस वाद
किया जाता है
स्व रिकार्ड ज
से 1.771 हैक
प्रतिवादी संख्या
रकबा बैंक
किया जावें।
आज तारीख 1

Scanned by CamScanner

(3)

(2)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव सहायक कलक्टर हनुमानगढ।

लोक अदालत/कैम्प कोर्ट, सहजीपुरा

पीठासीन अधिकारीः– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, (आर.ए.एस.)

विनोद कुमार पुत्र श्री नत्थूराम जाति नाई साकिन वार्ड संख्या 01, 43 एस एस डब्ल्यू बहलोलनगर तहसील हनुमानगढ जिला हनुमानगढ।

---वादीगण।

बनाम

1.नत्थूराम पुत्र हीराराम जाति नाई निवासी वार्ड नम्बर वार्ड संख्या 01, 43 एस एस डब्ल्यू बहलोलनगर तहसील हनुमानगढ जिला हनुमानगढ 2. मन्जू पुत्री नत्थूराम पत्नी आत्माराम जाति नाई निवासी वार्ड नम्बर 02 जीपीएस ग्राम पंचायत गोपालसर हनुमान जी नाई की ढाणी पोस्ट बीरमाना तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर 3. पुष्पा देवी पुत्री नत्थूराम पत्नी हंसराज सैनी जाति नाई निवासी वार्ड नम्बर 2 जीपीएस ग्राम पंचायत गोपालसर हनुमान जी नाई की ढाणी पोस्ट बीरमाना तहसील सूरतगढ 4. मनीषा पुत्री नत्थूराम पत्नी संजय भाटी जाति नाई निवासी वार्ड नम्बर 12 चक 2 डी छोटी साधुवाली श्री गंगानगर 5. मोनिका पुत्री नत्थूराम पत्नी सुधीर जाति नाई निवासी वार्ड नम्बर 12, 1 डी साधुवाली जिला श्रीगंगानगर 6. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ।

----प्रतिवादीगण।

राजस्व वाद संख्याः– 95/2018 अन्तर्गत धारा 88 आरटीए

वादी की ओर से श्री योगेश झोरड,एडवोकेट व प्रतिवादी की और से श्री तरसेम बराड, एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17.5.2018 को दावा मेरे समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है किः– वादी विनोद कुमार प्रतिवादी संख्या 1 नत्थूराम के नाम से राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 42 एस एस डब्ल्यू खाता संख्या 65/62 में दर्ज कुल 3.693 हैक्टर कृषि भूमि में से 1.771 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादी का नाम अंकित किया जावे। राजीनामा डिक्री का जुज रहेगा। यदि प्रश्नगत रकबा बैंक रहन है तो बैंक ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश करने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 17.5.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी गई।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
हनुमानगढ

Scanned by CamScanner